कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 891 / 2019 / 10–11 / 2650 भोपाल, दिनांक 22-8-19

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)
सिवनी वृत्त सिवनी, मध्यप्रदेश।

विषयः– सिवनी जिले के अन्तर्गत पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्माझिरी को विस्थापित किए जाने हेतु 160.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 1101, दिनांक 31.07.2019

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित पकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु भेजा है। प्रस्ताव का DSS analysis करने पर उपरोक्त प्रस्तावित 160.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 25.00 हे0 खुला वन (घनत्व 0.4 तक), 95.00 हे0 Scrub (घनत्व 0.1 तक) तथा 39.00 हे0 रिक्त वन क्षेत्र है। आपके द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में घनत्व 0.4 से 0.6 तक एवं ऑनलाईन भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 4(i) में घनत्व 0.5 तक दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करें, जिसमें वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सिवनी एवं क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व को भी साथ में रखे एवं प्रतिवेदन से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

Sd/- 22/8/19

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 891 / 2019 / 10–11 / 2651 भोपाल, दिनांक 22-8-19

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिवर्ज, सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण सिवनी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/- 22/8/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल